<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

दीव समाहर्तालय सभागार में मतगणना पर्यवेक्षकों एवं सहायकों को दिया गया मतगणना संबंधी प्रशिक्षण

11 नवम्बर को होनी है ग्राम पंचायत और जिला पंचायत सीटों की मतगणना

दीव 05 नवम्बर, 2020 : दीव जिला चुनाव अधिकारी श्रीमती सलोनी राय के नेतृत्व में 8 नवम्बर को होने वाले ग्राम पंचायत और जिला पंचायत आम चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से जारी है। इस क्रम में आज दीव समाहर्तालय सभागार में मतगणना पर्यवेक्षकों एवं सहायकों को मतगणना संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किये गये। श्री जयेश धंधुकिया ने मतगणना पर्यवेक्षकों एवं सहायकों को प्रशिक्षण देते हुए मतगणना से संबंधित सभी बारीकियों से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान यह बताया गया कि मतदान के दिन मतों की गिनती सबसे पहले बैलेट पेपरों से होगी। इसके लिए पर्यवेक्षकों को प्रपत्र 28-ए ओर 28-बी का मिलान करना अनिवार्य होगा। अगर संबंधित मतदाता और प्रभारी अधिकारी ने घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं तो उन मतपत्रों को अवैध माना जाएगा। मतपत्रों की गिनती का काम मतगणना आरंभ होने के आधे घंटे की समय-सीमा में पूरा किया जाएगा।

मतपत्रों की गिनती के बाद ई.वी.एम. के जरिये हुए मतदान की गिनती आरंभ होगी। इसके लिए कंट्रोल यूनिट से मतगणना का प्रशिक्षण भी मतगणना पर्यवेक्षकों और सहायकों को दिया गया। इसके लिए 26 मतदान केन्द्रों के 26 कंट्रोल यूनिटों में बंद मतों की इलेक्ट्रॉनिक गणना की जाएगी। पीठासीन अधिकारियों द्वारा भरे गये प्रपत्र 26 का मिलान कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों से करना अनिवार्य होगा।

ध्यातव्य हो कि दीव ग्राम एवं जिला पंचायत आम चुनाव के लिए 11 नवम्बर को मतगणना होनी है। यह मतगणना तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, दीव में सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस दौरान मतगणना कक्ष में निर्वाचन अधिकारी, उप-निर्वाचन अधिकारी, मतगणना पर्यवेक्षक एंव मतगणना सहायकों के अलावा प्रत्याशी या उनके एजेंट उपस्थित होंगे। प्रशिक्षक श्री जयेश धंधुकिया ने बताया कि आज के बाद यह प्रशिक्षण 10 नवम्बर को भी दी जाएगी, ताकि मतगणना के समय पर्यवेक्षकों और सहायकों को किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

हस्ता/-

(नोडल अधिकारी/जन-संपर्क अधिकारी)

दीव